

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1825 / 2024 दिनांक : 20.05.2024

श्री शकेश कटारा (RJ00282), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा हाल न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-02, कोटा को दिनांक 29.04.2024 से 04.05.2024 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 26.04.2024 के सार्वजनिक अवकाश एवं 27.04.2024 से 28.04.2024 एवं 05.05.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

इस कार्यालय के आदेश कमांक-स्था.(आर.जे.एस.)/50/2024 दिनांक 01.05.2024 के द्वारा श्री कटारा का स्थानान्तरण न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-02, कोटा के पद पर किया गया।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/43/1996/ 3963

दिनांक : 20.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 182 दिनांक 06.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री शकेश कटारा (RJ00282), न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-02, कोटा।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।


26/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार